भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2657

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराधों में रैंकिंग

†2657. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री गिरीश भालचन्द्र बापटः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या साइबर अपराध की घटनाओं के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है;

(ख) क्या नागरिकों ने डिजिटल लेनदेन पर अधिक भरोसा करना शुरू कर दिया है और इसी के अनुरूप साइबर हमलों में वृद्धि देखी गई है;

(ग) क्या साइबर अपराध/साइबर हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास पर्याप्त स्वदेशी क्षमता विशेषज्ञता या निहित ताकत नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां भारत में अपना सर्वर नहीं रख रही है और यदि हां, तो इस संबंध मे केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियों के सर्वर यदि भारत में स्थापित किए जाते हैं तो साइबर अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो देश में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और अब तक प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): देश-वार साइबर अपराध घटनाओं के बारे में कोई औपचारिक रैंकिंग उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग): भारत सहित पूरे विश्व में डिजिटल लेनदेन के प्रयोग में वृद्धि हो रही है। उपयुक्त सिक्योरिटी कंट्रोल लगाकर तथा साइबर हमलों को रोककर डाटा को सुरक्षित रखने और सिस्टमों तथा नेटवर्कों की रक्षा करने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

सरकार ने साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं को रोकने और उसे कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(i) देश में महत्वपूर्ण सूचना से संबंधित अवसंरचना की सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल इन्फार्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना।

(ii) डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले सभी संगठनों को साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की सूचना अविलंब सीईआरटी-आईएन को देने का अधिदेश दिया गया है।

(iii) दोषपूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने और ऐसे प्रोग्रामों को हटाने के लिए नि:शुल्क टूल उपलब्ध कराने हेतु साइबर स्वच्छता केन्द्र (बोटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर) शुरू किया गया है।

(iv) सीईआरटी-आईएन द्वारा साइबर खतरों तथा निरोधी उपायों के संबंध में चेतावनी और परामर्शी-पत्र जारी किया जाना।

(v) एप्लीकेशनों/अवसंरचना की सुरक्षा और अनुपालन के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) की प्रमुख भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के संबंध में उनके लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

(vi) सरकारी वेबसाइटों और एप्लीकेशनों की होस्टिंग से पहले और उसके बाद नियमित अंतराल पर उनकी जांच का प्रावधान।

(vii) सूचना सुरक्षा से संबंधित श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन में सहायता तथा उसकी जांच के लिए सुरक्षा जांच संगठनों को पैनलबद्ध करना।

(viii) साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार करना।

(ix) सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की साइबर सुरक्षा की स्थिति और तैयारी के मूल्यांकन में सक्षम बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिलों और अभ्यासों का आयोजन।

(x) सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुरक्षित बनाने तथा साइबर हमलों को कम करने के संबंध में सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क/सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरों तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(घ): इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां दूरसंचार विभाग के लाइसेंस फ्रेमवर्क द्वारा अभिशासित हैं। लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ उस सेवा क्षेत्र, जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया है, की भौगोलिक सीमाओं के भीतर नोड्स अर्थात राउटर/सर्वर स्थापित करना शामिल हो सकता है।

(ड.) और (च): इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के सर्वर भारत में स्थापित किये जाने पर भी साइबर अपराध किए जा सकते हैं। तथापि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत साइबर अपराधों का पता लगाने, उसकी जांच करने तथा अभियोजन के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।

भारत के संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने विधि प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। विधि प्रवर्तन एजेंसियां साइबर अपराध के अपराधियों के विरूद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करती हैं। तथापि, केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाने, चेतावनी/परामर्शी पत्र जारी करने, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजकों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं में सुधार आदि के लिए कदम उठाए हैं ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके और जांच में तेजी लाई जा सके। सरकार ने शिकायतकर्ताओं द्वारा बाल पोर्नोग्राफी/बाल यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री, बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के चित्र या कामुकता दर्शाने वाली सामग्री से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए ऑनलाइन साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in शुरू किया है। केंद्र सरकार ने देश में साइबर अपराध से संबंधित मामलों से व्यापक तथा समन्वित तरीके से निपटने के लिए साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई 4सी) की स्थापना की स्कीम शुरू की है।

******